

सचिव  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,  
अध्यक्ष, सचिव

एनबीएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्राम ब पीठ-नावा, कुल्लुआपुर। कोटापटी/टस्ट - नौ फाटेसरी  
भारतीयत पब्लिक वीरिटेबल टस्ट, ग्राम नारायणपुर पीठ-नावा, कुल्लुआपुर।

पत्रांक- प्राशिम/परिषद/2022/5845

तददिनांक- 14-7-2022

विषय: सत्र 2022-23 हेतु संस्थाओं को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संबन्ध

सम्बन्धित विषयक फार्मसी कान्ट्रिबुट ऑफ इन्फ्रिडिया (पीठसीआई) के पत्रांक 14-58/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11021-23 दिनांक 21-6-2022 एवं माओ उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आम द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किया जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ विस्तारित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पीठसीआई, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम को अनुमोदनापरांत ही सम्बद्धता का समझौता पर विचार करता है।

माओ उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पीठसीआई, नई दिल्ली के पत्रांक 14-58/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11021-23 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को अनापत्ति/अनापत्ति पत्र माओ उच्चतम न्यायालय में योजित एसाएलसी नं० 406/2022 में परिशिष्ट 10 में निर्देशों के प्रतिबन्धों के साथ प्रेषित की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी कान्ट्रिबुट ऑफ इन्फ्रिडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की वेबसाइट से पूर्ण प्राप्ति कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त पत्रों के अतिरिक्त संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कनाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

सम्बन्धितानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार धर्जित शर्तों को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होना। साथ ही सम्बद्ध पत्र में दी गई जानकारी तथा पीठसीआई एवं माओ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय स्थापना एवं पत्रों के अतिरिक्त सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के स्थापना की पुष्टि न होने तथा स्थलीय निरीक्षण के मतकों/शर्तों को पूर्ण रूप से किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सांगकर)  
सचिव

पत्रांक- प्राशिम/परिषद/2022/5846-47

तददिनांक- 14-7-2022

परिचालित- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं कार्यवाही हेतु धेचित:

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाय, कानपुर।
2. निदेशक-कम-सीक्रेटरी, फार्मसी कान्ट्रिबुट ऑफ इन्फ्रिडिया, कम्बाइन्ड कान्ट्रिबुट विस्तार, एमएल सेन, कोटला रोड, एरान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

  
Principal  
N.B.S. College of Pharmacy  
Bhanda - Sahaspur

(सुनील कुमार सांगकर)  
सचिव